भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1637

उत्तर देने की तारीख: 31/07/2023

जिलों के लिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई-डी)

†1637. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री बी.बी. पाटील:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए जिलों के लिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई-डी) जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) पीजीआई-डी के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और यह इन्हें प्राप्त करने में देश भर के विभिन्न जिलों की किस प्रकार सहायता करता है;

(ड.) उन संकेतकों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर पीजीआई को देश में स्कूली शिक्षा में सभी जिलों के कार्य-निष्पादन का ग्रेड देने के लिए तैयार किया गया है और पीजीआई-डी जिलों को किस प्रकार ग्रेड देता है;

(च) क्या सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का रैंक निर्धारित किया है;

(छ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार ने पीजीआई रैंकिंग में नीचे आने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली लगभग 14.89 लाख स्कूलों, 95 लाख से अधिक शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के लगभग 26.52 करोड़ छात्रों के साथ विश्व में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है।

(ख) और (ग) : जी हाँ। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए जिले हेतु संयुक्त प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई-डी) रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए पीजीआई-डी रिपोर्ट https://pgi.udiseplus.gov.in/PGID-2020-21_2021-22.pdf लिंक पर उपलब्ध है।

(घ): पीजीआई-डी का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अलग-अलग स्तर पर अंतरालों की पहचान करने और हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देने में सहायता करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर सुदृढ़ है। यह स्कूली शिक्षा की प्रगति की अंतर-राज्य तुलना में सूचना भी प्रदान करता है जो जिला स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप का आकलन करने और स्कूली शिक्षा में समग्र रूप से जिले के समग्र विकास के लिए जहां भी आवश्यक हो, समय अनुरूप सुधार करने के लिए उपयोगी है।

(ड.) से (छ) : पीजीआई-डी का स्कोर प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतकों की सूची वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए पीजीआई-डी की संयुक्त रिपोर्ट में अनुलग्नक-IV के https://pgi.udiseplus.gov.in/PGID-2020-21_2021-22.pdf लिंक पर देखी जा सकती है। पीजीआई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड देता है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पीजीआई 2.0 रिपोर्ट 2021-22 में प्राप्त ग्रेड अनुलग्नक 1 पर है और इसे https://pgi.udiseplus.gov.in/PGI-State-2021-22-Brochure.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।

(ज): डीओएसईएल, शिक्षा मंत्रालय ने हस्तक्षेप के क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर आगे सुधार के लिए पीजीआई 2.0 रिपोर्ट के निष्कर्षों को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर सुदृढ़ है। इसके अलावा, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करती है, जो स्कूली शिक्षा की पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक तक सभी स्तरों को कवर करने वाली एक व्यापक योजना है। सरकारी स्कूलों में नामांकन में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, 12वीं कक्षा तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नामक आवासीय विद्यालय/छात्रावास की स्थापना परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसम अनुकूल छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान आदि, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायता और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

******